(५) सम्बन्धित संस्था के निर्धारित समय का प्रगति-विवरण प्राप्त किया जाता है ।

केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के लिये इस साल से एक और शर्त लगा दी गई है कि महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक अपनी मर्जी से लेखे के किसी भी मद की जांच कर सकता है ।

पी० टी० ओ० रियायत

१५४७. श्री म० वी० मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० टी० ओ० रियायत से लाभ उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों ने अपने निवास नगरों के बारे में सूचनायें दे दी हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कोई उदाहरण मिले हैं जहां झूठी सूचनायें दी गई हों;

(ग) क्या ऐसी झूठी सूचनाओं के संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) केवल उन्हीं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपने निवास नगरों की सूचना देने को कहा गया था जो पाकिस्तान के विस्थापित हैं या जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है या जिन्होंने अभी तक किसी अन्य प्रयोजन के लिये अपने निवास नगर की सूचना नहीं दी थी । सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि ऐसे सब सरकारी कर्मचारियों ने यह सूचना दे दी है या नहीं किन्तु अनुमान है कि उन्होंने ऐसा कर दिया होगा ।

(ख) इस मंत्रालय की जानकारी में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

जेलों के इन्स्पेक्टर जनरलों का सम्मेलन

१५४८. श्री श्रीनारायण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेलों के इन्स्पेक्टर जनरलों के आठवें सम्मेलन की किन सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है;

(ख) उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के क्या मत हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) मांगी हुई सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७]

(ग) उक्त विवरण में दिये गये निर्णय करते समय भारत सरकार ने राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखा था ।

केन्द्रीय सचिवालय में विदेशी

१५४९ { श्री रामजी वर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री २२ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में लगे विदेशी अधिकारियों की संख्या के बारे में जानकारी अब उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे किस किस राष्ट्र के हैं; और

(ग) क्या उन के द्वारा किये जाने वाले कामों को संभालने के लिये भारतीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?